न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 51/18 दायरा दिनांक 24.06.2018 पीठासीन अधिकारी

श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी पटवार मण्डल घंटियाल बड़ी
प्रार्थी.................

बनाम

चुन्नीलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी ढिगारिया
अप्रार्थिनी...............

निर्णय दिनांक 20.07.2018

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है पटवारी हल्का घंटियाल बड़ी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण चुन्नीलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर ने ग्राम ढ़िगारिया के खसरा नम्बर 42 तादादी 94–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 0.02 बीघा भूमि पर पक्का निर्माण कर लिया है। अप्रार्थीगणों को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। नीयत तारीख पेशी दिनांक 17.07.2018 को अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी हल्का घंटियाल बड़ी की रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेज नकल जमाबंदी नकल एक्स, पी–14 से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थीगण चुन्नीलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर ने ग्राम ढ़िगारिया के खसरा नम्बर 42 तादादी 94–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 0.02 बीघा भूमि पर पक्का निर्माण कर लिया है। अतः अप्रार्थीगणों को अतिकमी घोषित किया जाकर गैर मुमकिन गौचर भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि का शरह पड़ता लगान का 50 गुणा से रूपये 05–00 से अप्रार्थीगणों को अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। तद्नुसार भू0अ0 निरीक्षक दूंकर को अप्रार्थीगणों को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पटवारी हल्का घंटियाल बड़ी को तावान राशि वसूल करने हेतु आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया ।

(ओमप्रकाश वर्मा)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर